फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला–सलुम्बर (राज.)

देवीलाल वनाम खाता उर्फ खानीराम

मुकदमा प्रार्थना पत्र पत्रावली संख्या 21 सन 2026

तारीख हुक्म	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी
26.5.26	बाद जाँच पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जाकर वास्ते पत्रावली तलबी दिनांक 5/6/26 को पेश हो।	
5.6.26	पत्रावली पेश हुई, प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी उपस्थित, प्रार्थी अधिवक्ता मुकेश चौबिसा न्यायालय मे उपस्थित होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रकृति का होने से प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे निवेदन किया की जमाबन्दी सम्वत 2075-78 के खाता संख्या 160 (नया), पुराना 140 है मे वर्णित आराजी सं. 2698 रकबा 0.1296 हैक्टेयर, आराजी न. 2698/2 रकबा 0.0216 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1512 हैक्टेयर भूमी स्थित है, उक्त भूमी पर उक्त भूमी पर प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी है, अप्रार्थी संयुक्त सम्पति को विक्रय करने की नियत से सम्पूर्ण संयुक्त भूमी पर कब्जा किया जा रहा है, प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को उक्त कृत्य करने से मना किया गया परन्तु अप्रार्थी अपनी ताकत के बल पर प्रार्थी के साथ मारपीट करने को उतारू है, अप्रार्थीगणो को उक्त कृत्य करने से नहीं रोका गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है।	

(हस्त)ाक्षर पार्टी	कार्यवाही विवरण	
	अत: अपनी बहस मे अप्रार्थीगणो को उक्त कृत्य करने से रोका जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन किया, एवं पत्रावली का अवलोकन किया की मौजा लसाड़िया पटवार हल्का लसाड़िया भू. अ. निरीक्षक लसाड़िया की जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 के खाता सं. 160 (नया) 140 (पुराना) मे वर्णित आराजीयात 2698, 2698/2, किता 02 कुल रकबा 0.1512 हैक्टेयर भूमी के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी के प्रार्थी व अप्रार्थी संयुक्त खातेदार है जब तक संयुक्त खातेदारी भूमी का विधिवत् बटवारा नही हो जाता तब तक प्रत्येक इंच पर प्रार्थी व अप्रार्थी का मालीकाना हक होता है, अप्रार्थी संयुक्त भूमी पर कब्जा करने को आमादा है जिससे प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे होना प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति मे अप्रार्थीगणो को उक्त कृत्य करने से रोका जाना उचित प्रतीत होता है अत: मौजा लसाड़िया की जमाबंदी सम्वत् 2075-78 के खाता सं. 160 (नया) पुराना 140 मे वर्णित आराजी 2698, 2698/2 किता 02 कुल रकबा 0.1512 हैक्टेयर भूमी का मौके एवं रेकॉर्ड की यथा स्थिति तथा मुल वाद निस्तारण होने तक उक्त आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाती है, स्थाई निषेधाज्ञा का जमाबन्दी मे नोट अंकित करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जावे। (हस्ताक्षर)	